

विभाग : सतर्कता विभाग
विभाग का पता : चौथा तल, सी, विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली-02
विधान सभा अतारांकित प्रश्न सं० : 44
दिनांक : 08.8.2017
प्रश्नकर्ता : श्री राजेश गुप्ता,

क्या उप मुख्यमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

	प्रश्न	उत्तर
क)	क्या यह सत्य है कि दिल्ली पुलिस और एण्टी कृषन ब्रांच दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है ;	गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 21.05.2015 के अनुसार दिल्ली पुलिस और एण्टी कृषन ब्रांच माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली, के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ।
ख)	यदि हाँ तो दिल्ली सरकार के विभागों में भ्रष्टाचार की शिकायतों की सुनवाई दायित्व किस एजेंसी का है ;	दिल्ली सरकार के विभागों में भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों की सुनवाई का दायित्व एण्टी कृषन ब्रांच, सतर्कता विभाग के साथ साथ संबंधित विभागों का भी है ।
ग	वर्तमान सरकार द्वारा अब तक ऐसे कितने मामले निपटाए गए हैं ;	1/4/2015 से 4 अगस्त 2017 के दौरान 138 कर्मचारियों के मामले विभागीय कार्यवाही में निपटाए गए ।
घ	ऐसे कितने मामले अभी तक लम्बित हैं; और	217 मामलो में विभागीय कार्यवाही चल रही है ।
ङ	सतर्कता विभाग में कितने कर्मचारी तैनात हैं और उनका वरियता क्रम क्या है ?	सतर्कता विभाग में कुल 72 कर्मचारी तैनात हैं जिनकी वरियता क्रम निम्न है :- 1. प्रधान सचिव 2. विशेष सचिव 3. उप सचिव 4. सहा. निदेशक 5. अधीक्षक 6. सहा. लेखा अधिकारी 7. कंसलटैंट 8. मुख्य लिपिक 9. अवर लिपिक 10. आशुलिपिक 11. लिपिक 12. हैड कांस्टेबल /कैशियर 13. वाहन चालक 14. चपरासी 15. होम गार्ड 16. डाटा एंट्री ऑपरेटर 17. सिविल डिफेंस

यह पत्र माननीय मंत्री, सतर्कता विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है ।

(के एस मीना)
उप सचिव (सतर्कता)

